Meaning and Characteristic of Constitutionalism

संविधानवाद का अर्थ एवं विशेषताएं

शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। विलियम जी० एण्ड्रयूज के अनुसार "संविधानवाद का आशय है सीमित - संविधानवाद के अन्तर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगायी जाती हैं। कुछ बातों के सम्बन्ध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के सम्बन्ध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू, स्वतंत्रता सम्बन्धी और प्रक्रिया सम्बन्धी हैं।"

स्पष्ट है कि संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में सम्भव है, जहां संविधान हो और सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित हो और इसे व्यवहार में सम्भव बनाने के लिए संवैधानिक नियन्त्रणों व प्रतिबन्धों की प्रभावशाली व्यवस्था हो।

राजनीतिक चिन्तन में संविधानवाद अरस्तु के समय से चला आ रहा है। सेबाइन के अनुसार "अरस्तु के मत में संविधानवाद के मुख्य तीन मुख्य तत्व हैं: प्रथम, यह शासन जनता के या सर्व-साधारण के हित में होता है; द्वितीय, यह विधि-सम्मत शासन होता है और तृतीय, यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन है।" के० सी० व्हीयर (K.C. Wheare) ने संविधानवाद को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि "संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है, निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। --- संविधानवाद की वास्तविक सार्थकता और उसके पीछे मौलिक उद्देश्य यही है कि शासन की सीमाएं बांधी जा सके और शासन चलानेवालों पर कानूनों तथा नियमों के मानने का बन्धन रहे।"

संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद को अभिव्यक्त करता है। कोरी तथा अब्राहम का मानना है कि "स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन

Scanned with CamScanner

को संविधानवाद माना जाता है" परन्तु K.C. Wheare तथा ब्लोण्डेल आदि इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि "संविधानवाद, निश्चित रूप से संविधान के अनुसार शासन से कुछ अधिक है।" ~~संविधानवाद~~ ~~और~~ संविधान और संविधानवाद सभी परिस्थितियों में एक नहीं होते, उनमें कुछ अन्तर होते हैं, जो निम्न हैं:

(i) संविधानवाद एक विचारधारा है का प्रतीक है, वहीं संविधान एक संगठन का प्रतीक है।

(ii) संविधानवाद में पहलुओं और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है।

(iii) संविधानवाद उत्पत्ति की दृष्टि से स्वदेव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है तो संविधान सामान्यतया निर्मित और अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकतानुसार ढलते रहते हैं।

(iv) संविधानवाद की औचित्यता पुरातनतथा विचारधारा के आधार पर होता है तो संविधान का औचित्य विधि या कानून के आधार पर।

(v) संविधानवाद एक Inclusive धारणा है तो संविधान एक Exclusive धारणा है।

जो भी हो, संविधान और संविधानवाद के उपर्युक्त अन्तरों के बावजूद संविधान और संविधानवाद एक दूसरे के पूरक तथा सहायक हैं, संविधान संविधानवाद का मूल आधार है और संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी ओर संविधान का पहलू संविधानवाद होना चाहिए, तभी संविधान की कोई सार्थकता है।

संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:

1 संविधानवाद मूल्यसम्बद्ध धारणा है - संविधानवाद उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्रिय है तथा जो प्रत्येक राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को आजिजन द्वारा प्रदान किया जाता।

Scanned with CamScanner

2. संविधानवाद संस्कृति सम्बद्ध अवधारणा है: प्रत्येक देश के आदर्श, मूल्य व विचारधाराएँ उस देश की संस्कृति की उपज होते हैं और संविधानवाद की धारणा उस स्थान विशेष की संस्कृति से सम्बद्ध पायी जाती है।

3. संविधानवाद गतिशील अवधारणा है: संविधानवाद प्रगति का साधक है। इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गतिशीलता भी पायी जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है।

4. संविधानवाद समभागी अवधारणा है: ~~संविधान~~ एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएँ व मान्यताएँ समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएँ रखता है। उदाहरणार्थ पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पायी जाती है।

5. संविधानवाद साध्य से सम्बन्धित अवधारणा है: संविधानवाद मूलतः साधनों से सम्बन्धित अवधारणा है, किन्तु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है।

5. संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है: सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतान्त्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व लक्ष्यों को संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं को संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद ~~[illegible]~~ व्यवहारिक व वास्तविक बनता है।

Scanned with CamScanner